V.V. Giri National Labour Institute NOIDA

Adm.6(005)/15/SH 27th December 2023

Office Order No: <u>692/2023</u>

In continuation of the Office Order No. 612/2022 dated 20.12.2022 regarding the constitution of Internal Complaints Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace(Prevention Prohibition and Redressal) Act, 2013, Shri Nagesh Nitla, Programme Officer has been nominated in the Committee by the Director General in place of Shri Shailesh Kumar, Ex-Accounts Officer. Now, the Committee is consisting of the following members:

- 1. Dr. Shashi Bala, Senior Fellow
- 2. Shri Nagesh Nitla, Programme Officer
- 3. Smt. Geeta Arora, Supervisor (Coordination)
- Presiding Officer
 Member

- External Member

- Member
- 4. Dr. Kusha Tiwari, Professor, Delhi University

The tenure of the Committee will be for a period of three years effective from the 20th December, 2022.

(fl.S. Rawat) Administrative Officer

To:

- 1. All the Members of the Committee
- 2. Faculty Members/Officers- with a request to inform their concerned project staff also.
- 3. All Regular Staff
- 4. Office Order Register

Copy to: The Director General for kind information

वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान सैक्टर - 24, नौएडा

प्रशा. 6(005)/15/एस.एच. 27 दिसम्बर 2023

कार्यालय आदेश सं. 692/2023

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन के संबंध में दिनांक 20 दिसम्बर 2022 के कार्यालय आदेश सं 612/2022 की निरंतरता में महानिदेशक ने समिति में श्री शैलेश कुमार, पूर्व लेखा अधिकारी की जगह श्री नागेश नितला, कार्यक्रम अधिकारी को नामित किया है। अब, समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1.	डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो	- 1	अध्यक्ष
2.	श्री नागेश नितला, कार्यक्रम अधिकारी	-	सदस्य
3.	श्रीमती गीता अरोड़ा, पर्यवेक्षक (समन्वय)	· ·	सदस्य
4.	डॉ. कुशा तिवारी, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय	-	बाहरी सदस्य

समिति का कार्यकाल 20 दिसंबर 2022 से प्रभावी तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

Ride

(एच. एस. रावत) प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में:

1. समिति के सभी सदस्य

2. सभी संकाय सदस्य/अधिकारीगण - कृपया अपने प्रोजेक्ट स्टाफ को भी सूचित करें।

3. सभी नियमित कर्मचारी

4. कार्यालय आदेश रजिस्टर

प्रतिलिपि: महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई को सूचनार्थ